

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2158 वर्ष 2026

संतोष कुमार मौर्य उर्फ संतोष और 2 अन्य

.....आवेदक (ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग सिविल सचिवालय लखनऊ
और एक अन्य

.....प्रतिवादी (ओं)

आवेदक (ओं) के अधिवक्ता : विनीत कुमार चौरसिया

प्रतिवादी (ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. अधिवक्ता श्री जयदीप द्वितीय पक्ष की तरफ से वकालतनामा दाखिल करके हाज़िर हुए हैं और अपनी दलील रखी है, उसे अभिलेख में ले लिया गया है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री जयदीप तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (अब धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत) के तहत वर्तमान आवेदन मुकदमा संख्या 31/2018 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज एवं अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 295/2017 से उत्पन्न दिनांक 03.10.2017 के आरोप पत्र संख्या 01/2017 के अनुसरण में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452, 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3 (1) (दा) (धा) के तहत शुरू किया गया था, पुलिस स्टेशन मलिहाबाद, जिला लखनऊ, साथ ही विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.01.2018 के परिणामी समन आदेश न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), लखनऊ, संबंधित न्यायालय में लंबित है, को रद्द करने के लिए प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

4. आवेदकों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह हैं और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी गलतफहमी की वजह से, आवेदकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसके बाद, पक्षों ने आपसी सहमति से अपना झगड़ा सुलझा लिया है। 29.01.2026 को समझौता पत्र लिखकर कर ली गई है, जिसे इस आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के तौर पर संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षों के बीच एक-दूसरे से कोई शिकायत नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बेकार है क्योंकि विचारण का कोई नतीजा नहीं निकलता और यह आवेदकों को परेशान करने जैसा है और इसलिए, आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की जा सकती है।

5. दूसरी तरफ, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने आवेदकों की तरफ से पेश अधिवक्ता की बात का समर्थन किया है और कहा है कि पक्षों ने एक समझौता पत्र के ज़रिए आपसी सहमति से अपना झगड़ा सुलझा लिया है और प्रतिवादी को आवेदकों के खिलाफ कोई और शिकायत नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक मामला खत्म किया जा सकता है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब, पक्षों ने असल में मामले में समझौता किया है या नहीं, यह सबसे अच्छी तरह से विचारण न्यायालय ही पता लगा सकती है, क्योंकि ऐसे समझौते को न्यायालय के सामने संबंधित पक्षों की मौजूदगी में ठीक से साबित करना होगा।

8. इसलिए, इस आवेदन को संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए **निपटाया जाता है** कि अगर उसके सामने ऐसा कोई समझौता दाखिल किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी लोगों को सूचना जारी करेगा, जिसमें उन्हें खुद मौजूद रहने की ज़रूरत होगी और उसके बाद, समझौते को सत्यापित करने की कार्रवाई करेगा। अगर ऊपर बताया गया समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और समझौते को अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. ऐसे में न्यायालय पक्षों को रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने और समझौता करने की इजाजत देगा और आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वे कार्रवाई रद्द करने के लिए फिर से इस न्यायालय में आ सकते हैं।

10. जहां तक आवेदकों का संबंध है, तीन महीने की अवधि के लिए वाद संख्या 31/2018 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज एवं अन्य) के अनुसरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 295/2017 से उत्पन्न आरोप पत्र संख्या 01/2017 दिनांक 03.10.2017 के अनुसरण में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452, 323, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं 3(1)(डीए) (डीएचए) के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही, पुलिस स्टेशन मलिहाबाद, जिला लखनऊ, साथ ही दिनांक 22.01.2018 का आपत्तिजनक परिणामी समन आदेश पर रोक रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या जिन पक्षों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की गई थी, वे सभी समझौते में शामिल थीं और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगी।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल समझौता पत्र, यदि कोई हो, की छायाप्रति लेने के बाद उसे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को लौटा दे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

26 मार्च, 2026

राज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।